न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **538 / 2024** **GCMS 2024/617**

प्रार्थीगण :–

1. किशनलाल पुत्र किस्तुरराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल
3. रूकमादेवी पत्नी रामेश्वरलाल
4. श्रवण कुमावत पुत्र रामेश्वरलाल
5. शांति देवी पुत्री रामेश्वरलाल
6. सुगनादेवी पुत्री रामेश्वरलाल
7. संतोष देवी पुत्री रामेश्वरलाल

जाति समस्त कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
2. औकारराम पुत्र किस्तुरराम जाति कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी
3. गोपालराम पुत्र किस्तुरराम जाति कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2024

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम रूपपुरा टोरड़ा में कृषि भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 1.08 है. किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 356 रकबा 2.[illegible] किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 3.5000 है. स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण [illegible] 2 ता 7 अप्रार्थी सं. 3 के पिता स्व. रामेश्वरलाल व अप्रार्थी स. 1 द्वारा रूपपुरा टोरड़ा मं [illegible] कृषि भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 1.08 है. किस्म बारानी प्रथम में से भूमि 0.5800 है. अर्थात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

(6240) वर्गफीट अर्थात् 579.62 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु खातेदार चेनाराम पुत्र बालुराम जाति गुर्जर निवासी टोरड़ा से उसके 1/3 हिस्से में से जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 05.04.2010 को खरीद की थी। तत्कालीन हल्का पटवारी रूपपुरा टोरड़ा द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 20.5.2010 को भरा गया उसमें उसके द्वारा ख.सं. 229 में बैचान को नहीं दर्शाकर मात्र नामान्तकरण पंजिका के कॉलम सं. 9 में रामेश्वरलाल, औकारराम, किशनलाल पिसरान किस्तुराराम जाति कुमावत 0.058 है. 6240) वर्गफीट खातेदार चेनाराम के हिस्से में से शेष खाता बददस्तुर जबकि खसरा सं. 229 में से चेनाराम के हिस्से में से 0.058 है. (6240) वर्गफीट लिखा लाना चाहिए था इस प्रकार तत्कालीन हल्का पटवारी रूपपुरा टोरड़ा द्वारा नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 20.5.2010 दर्ज करते समय वाकीयाती भूल की है। प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीगण सं. 2 ता 7 व अप्रार्थी सं. 3 के पिता स्व. रामेश्वरलाल व अप्रार्थी सं. 1 को चेनाराम खातेदार द्वारा किया गया बैचान म्यूटेशन के कॉलम सं. 9 को देखने से साबित होता है कि दोनों खसरान 229 व 356 में नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जबकि नामान्तकरण ख.सं. 229 में ही दर्ज होना चाहिए था। नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 20.5.2010 के अनुसार ही तत्कालीन हल्का पटवारी टोरड़ा द्वारा चालू चौसाला जमाबंदी में नामान्तकरण नोट लगाते समय भी बैचान ख. सं. 229 में से नहीं दर्शाकर दोनों खसरों सं. 229, 356 में दर्शाकर जमाबंदी चालू चौसाला में नोट लगा दिया गया। इस प्रकार जमाबंदी में भी गलत नोट अंकित कर वाकीयाती भूल फिर से कर दी गई जिससे राजस्व अभिलेख जमाबंदी व नामान्तकरण सं. 254 दिनांक 20.5.2010 में सुधारा जाना कानूनन रूप से आवश्यक है अगर हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड तैयार करते समय की गई भूल को नहीं सुधारा जाता है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा व असुविधा होगी, खातेदारों के मध्य आपस में विवाद पैदा होंगे तथा वादों की बहुलता बढ़ने की हर समय संभावना बनी रहेगी। प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीगण सं. 2 ता 7 व अप्रार्थी सं. 3 के पिता स्व. रामेश्वरलाल व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ख.सं. 229 में खातेदार चेनाराम से आगे खेत खसरा सं. 230 में जाने के लिए रास्ते की भूमि 0.058 है. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 04.5.2010 को खरीद की थी ख.सं. 356 में से कोई बैचान नहीं हुआ। ख.स. 356, ख.सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

229 में करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है खसरा सं. 229 के पास सटते हुए भी नहीं है। दोनों खसरान का खाता सं. 222 नया कर दिया गया है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा खसरा सं. 229 में से चेनाराम के 1/3 हिस्से में से 0.058 है. भूमि खरीद को राजस्व अभिलेख में खसरा सं. 229 में ही जमाबंदी व ना.स. 254 में दर्शाया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा ही ग्राम टोरड़ा के ख.स. 229 रकबा 1.0800 है. में खातेदार चेनाराम के 1/3 हिस्से में से ही रास्ते के लिए 0.058 है. भूमि खरीद की गई थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा की गई सेक्रिकेशन की कार्यवाही में हल्का पटवारी द्वारा खसरा सं. 229, 356 में प्रार्थीगण किशनलाल का 29/5250 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 औंकारराम का 29/5250 हिस्सा व स्व. रामेश्वरलाल का 29/5250 हिस्सा तथा रामेश्वरलाल की मृत्यु के बाद विरासत में प्रार्थी सं. 2 ता 7 व अप्रार्थी सं. 3 का प्रत्येक का 29/36750 दोनों खसरान में दर्शाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में अंकन किया गया है जो गलत है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2, 3 का हिस्सा खसरा सं. 229 में ही प्रार्थी सं. 1 किशनलाल का 58/3240 प्रार्थी सं. 2 जगदीश प्रसाद का 58/22680 प्रार्थी सं. 3 रूकमा देवी का 58/22680 प्रार्थी सं. 4 श्रवण कुमावत का 58/22680 प्रार्थी सं. 5 शांति देवी का 58/22680 प्रार्थी सं. 6 सुगना देवी का 58/22680 प्रार्थी सं. 7 संतोष देवी का 58/22680 व अप्रार्थी सं. 2 औंकारराम का 58/3240 अप्रार्थी सं. 3 गोपालराम का 58/22680 दर्शाया जाना चाहिए था इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा यह वाकीयाती भूल की गई है जिसे न्याय हित में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व ना.सं. 245 में सुधारा जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई भूल का अभी हाल ही में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व ना.सं. 245 की नकले प्राप्त करने पर पता चला है। ग्राम टोरड़ा के नामान्तकरण सं. 254 दिनांक 5.10.2010 के कॉलम सं. 9 में भूल सुधार कर इस प्रकार लिखा जाये कि [illegible]लाल, औंकारराम, किशनलाल पुत्र किस्तुराराम जाति कुमावत 0.058 है. (3240) [illegible] ख.सं. 229 में खातेदार चेनाराम के हिस्से में से शेष खाता बदस्तुर सुधार किया जावे व जमाबंदी में ख.सं. 229 में प्रार्थी सं0 1 किशनलाल का हिस्सा 58/3240, प्रार्थी सं. 2 जगदीश प्रसाद का हिस्सा 58/22680 प्रार्थी सं. 3 रूकमा देवी का हिस्सा 58/22680 प्रार्थी सं. 4 श्रवण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

कुमावत का हिस्सा 58/22680 प्रार्थी सं. 5 शांति देवी का हिस्सा 58/22680 प्रार्थी सं. 6 सुगना देवी का हिस्सा 58/22680 प्रार्थी सं. 7 संतोष देवी का हिस्सा 58/22680 व अप्रार्थी सं. 2 औंकारराम का 58/3240 अप्रार्थी सं. 3 गोपालराम का 58/22680 का अंकन जमाबंदी में कर भूल सुधार किये जाने के आदेश राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक जारी होकर मय रसीद शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार विक्रय विलेख अनुसार उक्त बैचान खसरा नम्बर 229 में से किया गया था। जबकि उक्त बैचान का नामान्तरण खसरा नम्बर 229 व 356 दोनों में दर्ज कर दिया गया।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अनुसार प्रकरण धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956 का नहीं पाया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी सुसंगत अन्य धाराओं में न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र दर्ज करवाये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:15 IST
Reason: SelfAttested